सामान्य प्रश्न

पंच/सरपंच

1. पंच सरपंच के चुनाव लडने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी है?
   पंच सरपंच के पद हेतु चुनाव लडने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है।

2. न्यूनतम उम्र की गणना किस तारीख को की जाती है?
   न्यूनतम उम्र की गणना नाम निर्देशन की संवीक्षा के दिवस को जावेगी।

3. पंच/सरपंच का चुनाव लड़ने हेतु शैक्षणिक योग्यता क्या है?
   पंच पद के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है। सरपंच पद हेतु 8 वीं पास होना जरूरी है तथा अनुसूचित क्षेत्र में 5 वीं पास होना जरूरी है।

4. पंचायत चुनाव में पंच/सरपंच का चुनाव लडने हेतु सन्तान सम्बन्धी क्या प्रावधान है? क्या मृत संतान की भी गणना होगी?
   पंच सरपंच पद हेतु चुनाव लडने के लिए दो से अधिक जीवित संतान नहीं होनी चाहिए। गोद में दी गई संतान जैविक माता पिता की संतान की संख्या में गिनी जायेगी।

5. किसी मतदाता का एक वार्ड में मतदाता के रूप में नाम है तो क्या वह सरपंच चुनाव लड़ सकता है?
   कोई भी व्यक्ति जिसका ग्राम पंचायत के किसी एक वार्ड की मतदाता सूची में नाम है वह उस पंचायत के सरपंच पद का चुनाव लड़ सकता है।

6. पंच को चुनाव हेतु क्या उसी वार्ड का मतदाता होना जरूरी है?
   नहीं, उसका ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड में मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है।

7. क्या सरपंच अपना निर्वाचन अभिकर्ता (Election Agent) नियुक्त कर सकता है?
   नहीं, सरपंच अपना (Election Agent) नियुक्त नहीं कर सकता है।

8. सरपंच पद का उम्मीदवार कितने Polling Agent नियुक्त कर सकता है?
   सरपंच पद का उम्मीदवार प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक Polling Agent नियुक्त कर सकता है।

9. सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक होना जरूरी है?
   सरपंच पद के लिए प्रस्तावक की आवश्यकता नहीं है।

10. पंच/सरपंच पद के चुनाव के लिए खर्च की क्या सीमा है।
    पंच पद के चुनाव के लिए खर्च सीमा नहीं है। सरपंच पद हेतु निर्वाचन व्यय सीमा 20,000 रू है।

11. पंचायत चुनाव में कौन मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।
    पंचायत चुनाव में ऐसा व्यक्ति जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम है, वह अपने मताधिकार का प्रयोग चुनाव में कर सकता है बशर्ते वह अन्यथा मतदान किये जाने के अयोग्य घोषित नहीं कर दिया गया हो।

12. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित स्थानों से कौन चुनाव लड़ सकता है?
    पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है, जो स्थान जिस वर्ग के लिए आरक्षित है उस पर उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जबकि सामान्य वर्ग के स्थान पर आरक्षित वर्ग सहित सभी चुनाव लड़ने के हकदार होंगें। प्रत्येक वर्ग में महिला के लिए आरक्षित पदों पर उन वर्गो की महिला अभ्यर्थी हो सकेगी।

13. क्या Tender Vote की गणना मतगणना में की जा सकती है?